



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.08.2024

थाना कांधला/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 16.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला/थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अनिल पुत्र अंतुराम सैनी निवासी मौहल्ला खेल थाना कांधला जनपद शामली।
2. अब्बास पुत्र सीदा निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।
3. आमिर खान पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला देशराज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2020 में अभियुक्त विपिन उर्फ छोटू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बड़ौली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 72/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.08.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त विपिन उर्फ छोटू उपरोक्त को में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.विपिन उर्फ छोटू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बड़ौली थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI